कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 12-05-2023

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (प्रेक्षक, नगर निकाय चुनाव), पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मुथा अशोक जैन एवं जिलाधिकारी वाराणसी श्री एस. राजलिंगम द्वारा मजिस्ट्रेट एवं पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण को होने वाली मतगणना के लिए ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, तत्पश्चात पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी भी आयोजित की गई एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

आज दिनांक 12.05.2023 को श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (प्रेक्षक, वाराणसी), पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मुथा अशोक जैन एवं जिलाधिकारी वाराणसी श्री एस. राजलिंगम द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन्स स्थित ब्रीफिंग हाल में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस के अधिकारीगण/कर्मचारीगण को कल दिनांक 13.05.2023 को होने वाली मतगणना के लिए ब्रीफ किया गया। नगर निकाय चुनाव 2023 की मतगणना में ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस बल/प्रशासनिक अधिकारीगण को मतगणना को शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। उक्त के दौरान अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध श्री संतोष कुमार सिंह, अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री एस. चन्नप्पा, पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन श्री अमित कुमार, पुलिस उपायुक्त गोमती जोन श्री विक्रान्त वीर, पुलिस उपायुक्त काशी जोन श्री राम सेवक गौतम, पुलिस उपायुक्त सुरक्षा एवं अभिसूचना श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी, पुलिस उपायुक्त यातायात एवं प्रोटोकॉल श्री प्रबल प्रताप सिंह समेत अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद रहे।

उक्त ब्रीफिंग के उपरान्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा उपस्थित समस्त राजपत्रित अधिकारीगण एवं समस्त थाना प्रभारीगण के साथ अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई तथा निम्नलिखित आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये-

- समस्त उपस्थित अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि थानों पर पंजीकृत प्रमुख अपराध जैसे- हत्या, लूट, चेन स्नेचिंग, दहेज हत्या, बलात्कार, पाक्सो एक्ट, वाहन चोरी एवं अन्य चोरी में त्वरित कार्यवाही करते हुए नियमानुसार अतिशीघ्र निस्तारण किया जाये।
- अनावरण हेतु शेष अपराधों के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि त्वरित कार्यवाही करते हुए नियमानुसार अतिशीघ्र निस्तारण किया जाये।
- वांछित अपराधियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर उनकी नियमानुसार गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये।
- आई.जी.आर.एस. के माध्यम से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों में त्वरित कार्यवाही करते हुए उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।
- थानों के हिस्ट्रीशटरों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- एफआईआर तत्काल दर्ज की जाये।
- खेलो इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दौरान सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।